पंचायतों का कार्यकाल (Duration of Panchayats) / नगरपालिका

प्रथम अधिवेशन की तिथि से पाँच वर्ष निर्धारित किया गया है।

The term has been fixed as five years from the date of the first session. ✳

Q ⇒ क्या पंचायत को भंग / विघटित (Dissolved) किया जा सकता है?

↳ Yes, हाँ

⇒ पंचायत → कार्य किया → 3 वर्ष - उसके बाद भंग हो गयी।

↳ कि नई पंचायत का कार्यकाल कितना होगा? → 2 वर्ष, (शेष कार्यकाल)
Remaining Tenure

⇒ पंचायत - कार्य अवधि - 5 वर्ष 6 माह (5 years 6 Months)

✳

↳ भंग (Dissolved)

↳ इस समय नयी पंचायत का कार्यकाल कितना होगा ?

⇓

5 वर्ष

→ क्योंकि 6 माह का समय नयी पंचायत के निर्वाचन के लिए दी चाहिए।

→ यदि किसी पंचायत को 6 माह पहले या इससे कम पहले भंग किया जाता है तो नयी पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए होगा।

सदस्यता के लिए अयोग्यतायें

(Disqualification for Membership)

योग्यतायें (Qualification)

(1) भारत का नागरिक
(2) न्यूनतम आयु → 21 वर्ष
(3) राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित अन्य योग्यतायें हों।

Disqualification (अयोग्यतायें)

(1) भारत का नागरिक न हो।
(2) न्यूनतम आयु पूरी न हो।
(3) राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित योग्यतायें न हों।

पंचायतों/नगरपालिकाओं की शक्तियाँ

(1) सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनायें बनाना।

(2) " " " " " " लागू करना।

(3) 11वीं अनुसूची में दिये गये 29 विषयों पर कार्य करना। / 12 वीं अनुसूची में दिये गये 18 विषयों पर नगरपालिकाओं द्वारा कार्य किया जाता है।

(1) → Social & Economic Development → Schemes → Prepare

(2) " " " " → " → Execute

(3) → 11th schedule ⇒ 29 Subjects / 12th schedule → 18 Subjects

↳ Panchayat's / पंचायत

↳ Municipality / नगरपालिका

राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission)

↳ पंचायत → Art. 243 I

⇒ राज्य वित्त आयोग → गठन - प्रत्येक 5 वर्ष पर → राज्यपाल द्वारा
Formation every 5 years by the Governor.

↳ 1 अध्यक्ष + अन्य सदस्य
Chairman + other members

नियुक्ति (Appointment) → by the Governor

कार्यकाल → Tenure → 5 वर्ष

त्यागपत्र → (Resignation) → राज्यपाल

कार्य - ① राज्य की संचित निधि से कितना अनुदान (Grants) पंचायत/नगरपालिका को दिया जायेगा, इसका निर्धारण करना।

रिपोर्ट → राज्यपाल को देता है। राज्यपाल इसकी रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं।

(2) पंचायतों/नगरपालिका की वित्तीय स्थिति (Financial Condition) में सुधार (Reforms) के लिए सिफारिश (Recommendation) करना।

Art. 243K ⇒ राज्य निर्वाचन आयोग
State election commission

→ यह एक संवैधानिक संस्था (constitutional body) है।
→ इसमें एक निर्वाचन आयुक्त (election commissioner) होते हैं।

- नियुक्ति → राज्यपाल
- कार्यकाल → 6 वर्ष/62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो।
- त्यागपत्र → राज्यपाल को
- हटाने की प्रक्रिया – जिस प्रकार H. Court के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी

प्रक्रिया से इन्हें भी हटाया जाता है।

राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य —
Function of state election commission

① निर्वाचन का संचालन
Conducting election – ① पंचायत
② नगरपालिका

② निष्पक्ष निर्वाचन कराना।
Conducting fair election

③ मतदाता सूची तैयार करना
Prepared electorall list.

④ चुनाव रद्द करना
Cancelling election. etc.



नगरीय प्रशासन : नगरपालिकायें

Municipal Government: Municipalities

सर्वप्रथम 1687 में मद्रास शहर के लिए नगर निगम नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की गयी।

Firstly in 1687 a local body called Municipal Corporation was established for the city of Madras.

1687 / 1688

नगरपालिका
Municipality

PM → पी० वी० नरसिंह राव ⇒ इनेक्ल 74 CA Bill 1992 LS में पेश → 22 Dec. 1992 → पारित
→ RS में पेश → 23 Dec. 1992 → पारित
→ President → Signature
↳ 20 April 1993
↳ Act / अधि० ⇒ लागू 1 June 1993

नगरपालिका
→ Part (भाग) - IX (A)
→ Art. 243P - 243ZG
→ 12th schedule / अनुसूची को जोड़ा गया।
→ राज्य सूची का विषय।

18 विषय पर कार्य → 12वीं अनुसूची में।

नगरपालिकाओं का गठन
Composition of Municipality → Art. 243Q

↳ त्रि-स्तरीय (Three-tier) — नगर पंचायत → ऐसा गांव जो शहर में परिवर्तित (जारी/town)

→ नगर पालिका परिषद् — छोटे शहरो में
Municipal Council

→ नगर निगम — बड़े शहरों में
Municipal Corporation

⇒ Structure (संरचना)

↳ नगरपालिका के सभी पद प्रत्यक्ष निर्वाचन (Direct election) द्वारा भरे जायेंगे (fulfill).



नगरपालिकाओं में आरक्षण → Art. 243T

- SC / ST → जनसंख्या के आधार पर
- Females/महिलाओं - 1/3 (33%)



निगरपालिकाओं की अवधि Duration of Municipalities)

नगरपालिकाओं की अवधि भी पंचायतों के समान प्रथम अधिवेशन से पाँच वर्ष तक होती है।

Like Panchayats, the tenure of municipalities is also five years from the first session.



यदि कोई नगरपालिका समय से पूर्व विघटित कर दी जाती है, तो विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर उसके लिए निर्वाचन कराया जाना चाहिए। इस प्रकार गठित नगरपालिका अपनी शेष अवधि तक कार्य करती है।



If a municipality is dissolved prematurely, elections must be held for it within 6 months from the date of dissolution. The municipality thus constituted works for the remaining term.

यदि विघटित नगरपालिका का शेष कार्यकाल 6-माह से कम हो तो उसके लिए निर्वाचन (6 माह के भीतर) आवश्यक नहीं है।

If the remaining term of the dissolved municipality is less than 6 months, then election is not necessary (within 6 months).



सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ

Disqualification for Membership

↳ पंचायतों के समान



नगरपालिकाओं की शक्तियाँ एवं प्राधिकार

(Power of Authority of Municipalities)

→ पंचायतों के समान



राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission)

(अनुच्छेद 243Y) - नगरपालिका

पंचायत → Art. 243 I > नगरपालिका same



नगरपालिकाओं के निर्वाचन

(Election of the Municipalities)

(अनु. 243ZA) - नगरपालिका

↔ राज्य निर्वाचन आयोग

पंचायत → 243K > बाकी सब Same

